IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

29 जून 2022

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Sir/Madam,

Notice of 18th Annual General Meeting of IDBI Bank

In terms of Regulation 30 & 50 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Notice of 18th Annual General Meeting of IDBI Bank being issued to the Members of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

भवदीया,

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

29/6/2022

[ज्योति नायर]

कंपनी सचिव

संलग्न: उपर्युक्त

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,

मुंबई- 400 005, फोन-(022) 66552711/ 3147

ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की **18वीं वार्षिक महासभा शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पूरी तरह से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)** से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा यथा 31 मार्च 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार (डीआईएन: 03022106), उप प्रबंध निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

3. श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 06638754), एलआईसी के नामिती निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

विशेष कारोबार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹5000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक के इक्विटी शेयर, जोकि बाजार मूल्य पर छूट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) [अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार, स्थानन दस्तावेज के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए] या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहीं तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है."

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,

Mumbai- 400 005, Phone-(022) 66552711 / 3147

E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **18th Annual General Meeting** of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Friday, July 22, 2022 at 11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM),** to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2022 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the audited consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2022;

2. To re-appoint Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN:03022106), Deputy Managing Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

3. To re-appoint Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN: 06638754), LIC Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2018, SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals, if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of Members of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ('the Board') to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10/- each and aggregating up to ₹ 5,000 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) [pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations] or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/ guidelines, as deemed appropriate by the Board."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी), ईएसपीएस, ईएसओपी और/या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और उनके क्यूआईपी के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हो, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा इक्विटी शेयरों के ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे जाएं, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध कानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत्त अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशकों अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और/या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जाए/की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और इसकी धारा 152(6) और धारा 160(1) तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1)(v) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा अन्य लागू क़ानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसमें पुन: अधिनियमन शामिल है), तथा एनआरसी एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री मनोज सहाय (डीआईएन 08711612), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, की 28 अप्रैल 2022 से बैंक के बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है.''

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of Public Issue, Rights Issue, Qualified Institutional Placement (QIP), ESPS, ESOP and/or on a Private Placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price including for QIP of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/ guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members."

"RESOLVED FURTHER THAT such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Directors or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (v) & (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of NRC and Board of Directors, approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Manoj Sahay (DIN: 08711612) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. April 28, 2022."

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और इसकी धारा 152(6) और धारा 160(1) तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1)(v) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसमें पुन: अधिनियमन शामिल है), तथा एनआरसी एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन 09584577), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, की 28 अप्रैल 2022 से बैंक के बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और इसकी धारा 152(6) और धारा 160(1) तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1)(v) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा अन्य लागू क़ानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसमें पुन: अधिनियमन शामिल है), तथा एनआरसी एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री राज कुमार (डीआईएन 06627311), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, की 19 मई 2022 से बैंक के बोर्ड में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है."

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक विधि प्रावधानों (किसी भी संशोधन (संशोधनों), सांविधिक आशोधन (संशोधनों) अथवा उनके तात्कालिक पुनर्अधिनियमों सहित) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है तथा इस शब्द में बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/गठन की जाने वाली किसी भी समिति (समितियां)शामिल है) को बैंक के एक सहबद्ध पक्षकार होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेन की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हो अथवा साथ-साथ किए गए लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पूरा करने और/ या जारी रखने की पुष्टि करते हैं तथा इसके लिए अनुमोदन भी प्रदान करते हैं:

1) एलआईसी से चालू खाता जमा या सावधि जमा ("जमा") और उस पर ब्याज सहित जमा (किसी भी रूप में और किसी भी नाम से);

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (v) & (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of NRC and Board of Directors, approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. April 28, 2022."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (iv) & (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of NRC and Board of Directors, approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Raj Kumar (DIN: 06627311) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. May 19, 2022."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with Life Insurance Corporation of India (LIC), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

1) Deposits (in any form and by whatever name called), including Current Account Deposits or Fixed Deposits ("Deposits") from LIC and interest thereon;

2) बैंक की संबंधित नीतियों और प्रयोज्य विधि के तहत अनुमत शर्तों और मानदंडों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि आदि सहित) पर एलआईसी को अनुमत राशि तक किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधा अथवा किसी भी प्रकार की निधि-आधारित सुविधा तथा/ अथवा गारंटी, साख पत्र अथवा गैर-निधि आधारित सुविधा प्रदान करना; तथा

3) एलआईसी को बैंक की ऋण प्रतिभूतियां जारी करना, ब्याज और उसकी मोचन राशि का भुगतान

4) बीमा उत्पादों और अन्य संबद्ध व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

5) एलआईसी के साथ सहमत प्रतिफल पर अथवा समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार तथा/ अथवा बैंक/ इसकी सहायक कंपनियों को निम्न कार्य के लिए अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/ सेवाओं का हस्तांतरण: (i) प्रतिभूतियों का क्रय/ विक्रय, शुल्क, प्रभार, राजस्व, कमीशन, प्रीमियम, ब्रोकरेज या कस्टडी/ डिपॉजिटरी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं, बीमा सेवाओं, परिसंपत्ति प्रबंधन शुल्क, अनुबंध शुल्क जारी करने व भुगतान करने, साझा सेवाएं, संग्रहण और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियां जारी करने जैसे कार्यों से प्राप्त अन्य आय प्राप्त करने के लिए तथा/ अथवा (ii) बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में प्रकट किया गया व्यय करने के लिए.

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन, चाहे व्यक्तिगत रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में, ₹1,000 करोड़ से अथवा बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से, इनमे से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत प्रयोज्य अन्य तात्विक सीमा, जिसमें जमा व ब्याज ऐसे लेनदेन मूल्य का प्रमुख हिस्सा हों, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन स्वतंत्र और समान स्तर के पक्षकार से तथा बैंक के सामान्य व्यवसाय के तहत हो."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड (इस पद के अंतर्गत बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ गठित की गई या इसके बाद गठित की जाने वाली समिति शामिल है) द्वारा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज तथा करार निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएँ तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी (रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए सभी या किसी भी शक्ति का प्रत्यायोजन करने की पुष्टि करते हैं और अनुमोदन करते हैं.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.
दिनांक : 23 जून 2022

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.

2. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन करना है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. 02/2021, 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं.17/2020, 5 मई 2020 के परिपत्र सं.20/2020 के साथ पठित दिनांक 05 मई 2022 के परिपत्र सं.02/2022 तथा

2) Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of Fund-based facilities, and/or guarantees, letters of credit, or any other form of Non-Fund based facilities to LIC, sanctioned up to an amount and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank; and

3) Issue of debt securities of the Bank to LIC, payment of interest and redemption amount thereof.

4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

5) Other transactions and / or arrangements with and / or transfer of resources / services from/ to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Bank/ its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, receive fees, charges, revenue, commission, premium, brokerage or any other income, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities and / or (ii) incur expenses, as may be disclosed in the notes forming part of the consolidated financial statements of the Bank.

notwithstanding the fact that such contracts/arrangements/ transactions during a Financial Year, whether individually and/ or in the aggregate, may exceed ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time wherein Deposits and interest thereon would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/ arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 23 , 2022

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.

2. In view of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 15 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/एफ/2020/11 और दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ /सीएफडी /सीएमडी1/ सीआईआर/एफ/2020/79 के साथ पठित दिनांक 13 मई 2022 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 के अनुसरण में सदस्य आगामी वार्षिक महासभा (एजीएम) में अपनी उपस्थिति एवं सहभागिता वीसी/ओएवीएम माध्यम से दर्ज करा सकते हैं.

3. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020 के साथ पठित 5 मई 2022 के परिपत्र सं. 20/2022 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त कर उनके लिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. तथापि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और इस प्रकार वे वार्षिक महासभा में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान कर सकते हैं.

4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आएं पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं जिन्हें पहले आएं पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.

6. बैंक, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2021, 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 05 मई 2020 के साथ पठित 05 मई 2022 के परिपत्र के अनुसरण में महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

7. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 05 मई 2022 के परिपत्र सं. 02/2022 अनुपालन में वार्षिक महासभा में बुलाए जाने की नोटिस बैंक की वेबसाईट www.idbibank.in पर अपलोड की गई है. यह एजीएम नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी देखी की जा सकती है. वार्षिक महासभा की नोटिस एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है.

8. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, यूनिट आईडीबीआई बैंक, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं.

No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 read with Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

3. Pursuant to the Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting.

4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated May 05, 2022 read with January 13, 2021, April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

7. In line with the MCA Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com .

8. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

9. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at Selenium Tower B, Unit IDBI Bank, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad– 500 032 [Tel. No.

(040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल:einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 डटेलीफोन नं. (022) 66553147/2711/3062/3336, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

10. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर उपलब्ध रहेंगे जिसके लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉगिन करना होगा.

11. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:

    i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

    ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

    iii) लॉगइन आईडी के ब्योरे इस नोटिस में नीचे दिए गए हैं.

12. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **शनिवार, 16 जुलाई 2022 से शुक्रवार, 22 जुलाई 2022** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **15 जुलाई 2022** (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 18 जुलाई 2022 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) शुरू होगी और गुरुवार, 21 जुलाई 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में यथा रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख), अर्थात् 15 जुलाई 2022 को दर्ज हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दे सकते हैं. शेयरधारकों के मताधिकार यथा निर्दिष्ट तारीख, जो 15 जुलाई 2022 है, को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार वोट करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार "दो चरण" शामिल हैं:

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर एक्सेस करना

अ) ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन पद्धति तथा डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होना

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा पर दिनांक 09 दिसंबर 2020 के सेबी के परिपत्र की शर्तों के अनुसार, डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरियों या डिपॉजिटरी सहभागियों के पास खोले गए डिमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाती है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डिमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित करें.

(040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553147/2711/3062/3336, E-mail : idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

10. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

11. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

    i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

    ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

    iii) Details of login id are given below in this Notice.

12. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, July 16, 2022 to Friday, July 22, 2022** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **July 15, 2022** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The **remote e-voting period begins on and from Monday, July 18, 2022 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Thursday, July 21, 2022 at 5.00 P.M. (IST).** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. July 15, 2022, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being July 15, 2022.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है :

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. यदि आप **एनएसडीएल की आईडीईएएस सुविधा** के लिए पहले से पंजीकृत हैं तो कृपया आप एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट पर जाएँ. व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://eservices.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें. ई-सेर्विसेस का होम पेज खुलते ही "Login" के अंतर्गत **"Beneficial Owner"** आइकॉन पर क्लिक करें जो **"IDeAS"** सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या **e-Voting service provider - NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 2. यदि यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. **"Register Online for IDeAS"** पोर्टल सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या **e-Voting service provider - NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 4. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप "NSDL Speede" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. If you are already registered for **NSDL IDeAS facility,** please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the **"Beneficial Owner"** icon under "Login" which is available under **"IDeAS"** section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on options available against Bank name or **e-Voting service provider - NSDL** and you will be re-directed to NSDL e-Voting website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS"** Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on options available against Bank name or **e-Voting service provider - NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play

वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. वर्तमान यूजर जिन्होंने Easi/ Easiest का चुनाव किया है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. Easi / Easiest को लॉगिन करने हेतु यूजर के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है तथा इसके बाद New System Myeasi पर क्लिक करें. 2. Easi/Easiest का सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद यूजर ई-वोटिंग मेनू भी देख पाएंगे. मेनू के पास **ई-वोटिंड सर्विस प्रदाता, अर्थात एनएसडीएल** के लिंक होंगे. अपना मतदान करने के लिए **NSDL** पर क्लिक करें, 3. यदि यूजर Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. 4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डिमैट खाता संख्या और पैन नंबर मुहैया करा कर सीधे ई-वोटिंग पेज एक्सेस कर सकते हैं. प्रणाली डिमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगी. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद यूजर को संबन्धित ईएसपी, अर्थात **एनएसडीएल** के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां ई-वोटिंग चल रहा है.
वैयक्तिक शेयरधारक (जो डिमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डिमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग संबंधी विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/ सीडीएसएल के डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या **e-Voting service provider - NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

महत्वपूर्ण सूचना : जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव न कर पा रहे हों वे उपर्युक्त वेबसाइट पर Forgot User ID और Forgot Password विकल्प का उपयोग करें.

डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए एनएसडीएल एवं सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरों के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन स्वरूप	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण evoting@nsdl.co.in पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबरों 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल कर एनएसडीएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.
सीडीएसएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा 022-23058738 या 022-23058542-43 पर कॉल कर सीडीएसएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Existing users who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. 2. After successful login of Easi/Easiest the user will be also able to see the e-Voting Menu. The Menu will have links of **e-Voting service provider i.e. NSDL**. Click on **NSDL** to cast your vote. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. NSDL where the e-Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on options available against Bank name or **e-Voting service provider-NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43

आ) डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वाले वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों से इतर के लिए ई-वोटिंग/ वर्चुअल बैठक में जॉइन करने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें.

2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो "Shareholders/ Member" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.

3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

   विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् Cast your vote electronically की तरफ बढ़ सकते हैं.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं :

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	**आपका यूजर आईडी है :**
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डीमैट खाते में हैं.	**8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी.** **उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.**
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल डीमैट खाते में हैं.	**16 अंकों का लाभार्थी आईडी** **उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपका यूजर आईडी 12********** होगा.**
ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	**ईवीईएन संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या.** **उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.**

5. वैयक्तिक शेयरधारक से इतर शेयरधारकों के पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

   ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करते समय, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यत: पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

   ग) आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

      (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if ayou are registered for NSDL eservices i.e. IDeAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDeAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	**8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID** **For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.**
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	**16 Digit Beneficiary ID** **For example if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12************
c) For Members holding shares in Physical Form.	**EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank** **For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

   c) How to retrieve your 'initial password'?

      (i) If your email ID is registered in your demat

पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.

(ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे **उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.**

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **"Forgot User Details/Password?"** पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).

ख) www.evoting.nsdl.com पर **"Physical User Reset Password?"** विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

ग) यदि उपर्युक्त दो विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलिओ संख्या, अपने पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए "Agree to Terms and Conditions" पर टिक करें.

8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा.

9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रोनिक रूप से करें और एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर महासभा में शामिल हों.

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है और महासभा में शामिल कैसे होना है?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे, जिनमें आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग साइकिल और महासभा एक्टिव स्थिति में हैं.
2. आप उस बैंक का "EVEN" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा में मतदान करना चाहते हैं. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको "Join General Meeting" के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक को क्लिक करना होगा.
3. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.
4. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् assent or dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा "Submit" पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर "Confirm" पर क्लिक करें.
5. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.
6. आप पुष्टीकरण पृष्ठ पर "Print" विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on **"Forgot User Details/Password?"**(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **"Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account16number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट) को **scrutinizer@snaco.net** के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति **evoting@nsdl.co.in** को भेजें.

2. इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physicai User Reset Password?" के विकल्प पर जाना होगा.

3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर कागजी स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ट और पृष्ठ भाग दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से **idbiequity@idbi.co.in** पर भेजें.

2. यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से **idbiequity@idbi.co.in** पर भेजें. यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप **चरण 1 (अ)** में बताई पद्धति से लॉगिन करें, अर्थात **डिमैट पद्धति में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति** का उपयोग करें.

3. विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2), जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए **evoting@nsdl.co.in** पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डिमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है. इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डिमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा.

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के समान है.

2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in . If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**

3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote

पर मतदान नहीं किए हैं और जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के लिए एक्सेस संबंधी** उपर्युक्तानुसार बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप कंपनी के नाम के सामने **"Join General Meeting"** के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि **"Join General Meeting"** मेनू के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुन: प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्य लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लें तो ज्यादा सहूलियत होगी.

3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे के लिए अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.

4. कृपया नोट करें कि मोबाईल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाईल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अत: स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.

5. बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं और अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने अनुरोध 16 जुलाई 2022 की सुबह 9.00 बजे से 18 जुलाई 2022 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते **idbiequity@idbi.co.in** पर) भेज सकते हैं. बैंक एजीएम के लिए उपलब्ध समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है.

6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से 16 जुलाई 2022 की सुबह 9.00 बजे से 18 जुलाई 2022 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते **idbiequity@idbi.co.in**) पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

7. जिन सदस्यों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

8. एजीएम से पहले या इसके दौरान सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए एनएसडीएल से 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा श्री संजीव यादव को **sanjeev@nsdl.co.in** पर मेल कर सकते हैं

on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system at the AGM.

3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGHVC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the **NSDL e-Voting system**. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system.** After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under **"Join General meeting"** menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. Shareholders who would like to register themselves as a speaker during the meeting may send their request mentioning their name, demat account number/ folio number, email id, mobile number at (Bank's email id idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on July 16, 2022 till 5.00 p.m. on July 18, 2022. Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for AGM.

6. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (Bank's email id. idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on July 16, 2022 till 5.00 p.m. on July 18, 2022. The same will be replied by the Bank suitably.

7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 1800-222-990 or email to Mr. Sanjeev Yadav at sanjeevy@nsdl.co.in

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 17 जून 2022 के बाद और 15 जुलाई 2022 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 17 जून 2022 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 15 जुलाई 2022 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 15 जुलाई 2022 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 15 जुलाई 2022 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग कैप के अधीन होंगे.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा गुरुवार, 21 जुलाई 2022 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 15 जुलाई 2022 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं है, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझें.

  इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (ईकाई-आईडीबीआई बैंक लि.), प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022-66553147/2711/3062/3336) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

13. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न आने की स्थिति में श्री एस.एन. विश्वनाथन को संवीक्षक नियुक्त किया है.

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., June 17, 2022 and up to July 15, 2022 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 17, 2022 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till July 15, 2022 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of July 15, 2022, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password?"option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of July 15, 2022 subject to voting cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Thursday, July 21, 2022 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on July 15, 2022, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

  For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Limited (Unit-IDBI Bank Ltd.), RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005 (022- 66553147/2711/3062/3336) or NSDL -Toll Free No. 1800 222 990.

13. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. S. N. Viswanathan, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

14. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 24 जुलाई 2022 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने आज की तारीख तक ईमेल आईडी(यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करवाया है, अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.

02. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने संबंधित फोलियो/ डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करें.

03. दिनांक 03 नवंबर 2021 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के अनुसार, सेबी ने आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने की शर्तों को प्रोसेस करने के लिए सामान्य और सरलीकृत शर्तें निर्धारित की हैं. संबंधित प्रपत्रों (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, आईएसआर-4, एसएच-13) के साथ उक्त परिपत्रों की प्रतियां आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/idbibank-investor.aspx और बैंक के आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, की वेबसाइट www.kfintech.com पर उपलब्ध है.

तदनुसार, केवाईसी दस्तावेज जमा करना और उपर्युक्त परिपत्र में अधिदेश के अनुसार नामिती विवरण को अद्यतित करना आपके हित में है. फोलियो, जिसमें 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद केवाईसी विवरण या नामिती विवरण में से कोई एक उपलब्ध नहीं होगा, को उक्त परिपत्रों की शर्तों के अनुसार केफिंटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा. केफिंटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज किए गए फोलियो यदि 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज रहते हैं तो उन्हें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन प्रशासन प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा.

04. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 की शर्तों के अनुसार, सभी अप्रदत्त या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े हैं, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा. इसके अनुपालन में इस वर्ष बैंक से वित्तीय वर्ष 2014-15 के अदावित लाभांश को शेयरों (जिन पर लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश अदत्त/अदावित रहा है) के साथ निधि में अंतरित करना अपेक्षित है. शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश का दावा अभी तक नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे नियमावली के अनुसार उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें. शेयरधारकों के अदावित लाभांश के ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं.

वार्षिक महासभा सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद संख्या 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

14. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before July 24, 2022 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/ CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, in order to facilitate payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., we request you to update your bank account details in your respective folio / demat account.

03. In terms of Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated November 03, 2021, SEBI has laid down common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination. Copies of the said Circulars together with relevant forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, ISR-4, SH-13) are available on the website of IDBI Bank at https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx and that of KFin Technologies Limited (KFintech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com.

Accordingly, it is in your interest to submit the KYC documents and update nominee details as mandated in the above mentioned circular. Folios wherein any one of the KYC details or nominee details are not available on or after April 01, 2023, shall be frozen by KFintech / IDBI Bank in terms of the said Circulars. The frozen folios will be referred by KFintech / IDBI Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

04. As per the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred by the Bank to the Fund established under Section 125(1). In compliance thereof, this year the Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2014-15 to the Fund along with the shares (on which dividend has remained unpaid/unclaimed for seven consecutive years). The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2014-15 are requested to approach the Bank for claiming the same in terms of the Rules. The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website.

Explanatory Statements in respect of items of the AGM Notice

1. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 4 of the Notice

(i) समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह टियर I पूंजी बनाए रखे. क्यूआईपी मार्ग के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 10 अगस्त 2021 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प, क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए वैध है.

(ii) बैंक सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों से जहां भी जरूरत होगी, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा.

(iii) यह समर्थकारी संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है जो सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 41(4) के साथ पठित है. यह उपबंधित करता है कि जब भी बैंक द्वारा आगे कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को वह ऑफर आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर या इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सकता है.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी, ईएसपीएस, ईएसओपी आदि के जरिए कुल रु. 5000 करोड़ रुपये (प्रीमियम राशि सहित) के इक्विटी शेयरों को ऑफर करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है.

(v) इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vi) इस संकल्प का उद्देश्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 में परिभाषित रूप में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पास अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देना है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(vii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर, प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जा सकता है जो कि "संगत तारीख" से पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के औसत से कम न हो. बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर या ऐसी किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(viii) "संगत तारीख" से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिस तारीख को बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.

(ix) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी.

(x) अधिकार निर्गम के मामले में निर्गम मूल्य का निर्णय आईसीडीआर विनियम के अध्याय III के प्रावधानों के अनुसार अग्रणी प्रबंधकों के साथ परामर्श कर किया जाएगा.

(xi) क्यूआईपी अथवा अधिकार निर्गम सहित विभिन्न प्रकार के निर्गमों के लिए ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(i) The Bank is required to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. The Special Resolution passed at the last AGM held on August 10, 2021 for Issue of Capital under QIP route, is valid only for one year in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 for QIPs.

(ii) The Bank will obtain requisite approvals from Statutory/ Regulatory authorities, wherever required.

(iii) The enabling Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Sections 42 and 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 which, read with Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulation, provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities on pro-rata basis to the existing shareholders or otherwise.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares aggregating up to ₹ 5,000 crore (inclusive of premium amount) by way of public issue, rights issue, issue on private placement basis, QIP, ESPS, ESOP, etc.

(v) The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(vi) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(vii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 subject to section 53 of the Companies Act, 2013.

(viii) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting on which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.

(ix) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.

(x) In case of a rights issue, the issue price would be decided in consultation with the lead manager(s) in accordance with the provisions of Chapter III of the ICDR Regulations.

(xi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements for various types of issues including rights issue or QIP.

(xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अत: जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 , कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xiii) उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiv) आबंटित इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस उद्देश्य के लिए बैंक को विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की सहमति लेने की आवश्यकता है.

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 4 में दिए गए संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

2. <u>सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण</u>

श्री मनोज सहाय (डीआईएन: 08711612) को भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में भारत सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारित करने हेतु बोर्ड में 28 अप्रैल 2022 से नियुक्त किया गया था. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे.

श्री मनोज सहाय बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, अपने वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एसएस-2 तथा सेबी सूचीबद्धता नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में दिया गया है.

<u>श्री मनोज सहाय का संक्षिप्त प्रोफाइल इसमें नीचे दिया गया है:</u>

श्री मनोज सहाय 1994 बैच के आईए एंड एएस अधिकारी हैं. वे रूड़की विश्वविद्यालय से बीई (सिविल) हैं. वे वर्तमान में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलहकार हैं और छह विभाग यथा- राजस्व विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएँ विभाग, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम) और सार्वजनिक उद्यम विभाग देख रहे हैं. अपनी वर्तमान तैनाती से पहले वे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि. में निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे.

उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय में विभिन्न कैडरों में कार्य किया है और संघ सरकार के लेखे, केंद्रीय स्वायत्त निकायों आदि के प्रमाणन से जुड़े दायित्व संभाले हैं. इन्होंने प्रधान महालेखाकर, झारखंड, रांची एवं असम, गुवाहाटी के कार्यालय में भी कार्य किया है और राज्य सरकार के लेखा परीक्षा से जुड़े दायित्व संभाले हैं. वे लंदन में लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक के कार्यालय में भी पदापित थे जहां आपने यूरोप और सीआईएस देशों में स्थित मिशनों और सरकारी कार्यालयों की लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख की थी.

(xii) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

(xiii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(xiv) The equity shares to be allotted shall rank pari-passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.4 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

2. <u>Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice</u>

Shri Manoj Sahay (DIN: 08711612) was appointed as Government Nominee Director on the Board w.e.f. April 28, 2022 to hold office till the pleasure of Government of India. In compliance of amended Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160 of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board.

Shri Manoj Sahay shall be entitled to the reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending Board/ Committee Meetings. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

<u>The brief profile of Shri Manoj Sahay is provided hereinafter:</u>

Shri Manoj Sahay is an IA&AS officer of 1994 Batch. He is BE (Civil) from University of Roorkee. He is presently Joint Secretary & Financial Advisor handling six departments, viz. Department of Revenue, Department of Expenditure, Department of Economic Affairs, Department of Financial Services, Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM) and Department of Public Enterprises. Prior to his present posting, he was on Deputation as Director (Administration & Finance) at National Highways and Infrastructure Development Corporation Ltd. under Ministry of Road Transport and Highways.

He has worked in various cadres at the office of Comptroller & Auditor General of India, New Delhi handling Union Government Accounts, Certification of central autonomous bodies, etc. and at the office of Principal Accountant General, Jharkhand, Ranchi & Assam, Guwahati handling State Government Audit. He was also posted in the office of Principal Director of Audit at London handling audit of Missions and Government offices in Europe and C.I.S countries.

निदेशक मंडल इस सूचना की मद संख्या 5 में निर्दिष्ट किए अनुसार सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि वे किसी भी निदेशक (स्वयं श्री मनोज सहाय को छोड़कर) अथवा, बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करने में, बैंक में अपनी शेयर धारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोडकर, वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री मनोज सहाय का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं हैं.

3. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन: 09584577) को भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में भारत सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारित करने हेतु बोर्ड में 28 अप्रैल 2022 से नियुक्त किया गया था. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160 के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे.

श्री सुशील कुमार सिंह बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, अपने वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एसएस-2 तथा सेबी सूचीबद्धता नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में दिया गया है.

श्री सुशील कुमार सिंह का संक्षिप्त प्रोफाइल इसमें नीचे दिया गया है:

श्री सुशील कुमार सिंह भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 2006 बैच के अधिकारी हैं. वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पोस्ट-ग्रेजुएट हैं. इन्हें विभिन्न कार्यालयों में स्वतंत्र प्रभारी के रूप में कार्य करने का विविधतापूर्ण अनुभव है. वे वर्तमान समय में वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं. वे वित्तीय समावेशन प्रभाग की देख-रेख कर रहे हैं और भारत सरकार की प्रधान मंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना जैसी अग्रणी योजनाओं और माइक्रो बीमा योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं.

उन्होंने रक्षा प्रतिष्ठानों में समन्वित वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है और वित्तीय प्रस्तावों की संवीक्षा में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उनके भुगतान एवं लेखा परीक्षा कार्यों को भी संभाला है. उन्हें सरकारी लेखा विशेष रूप से रक्षा वित्त और लेखांकन प्रणाली का व्यावहारिक अनुभव है.

निदेशक मंडल इस सूचना की मद संख्या 6 में निर्दिष्ट किए अनुसार सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि वे किसी भी निदेशक (स्वयं श्री सुशील कुमार सिंह को छोड़कर) अथवा, बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करने में, बैंक में अपनी शेयर धारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोडकर, वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री सुशील कुमार सिंह का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं हैं.

4. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री राज कुमार (डीआईएन: 06627311) को एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में एलआईसी के प्रसादपर्यंत पद धारित करने हेतु बोर्ड में 19 मई 2022 से नियुक्त किया गया था. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो बोर्ड में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.5 of this notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Manoj Sahay himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Manoj Sahay is not related to any other Director or KMP on the Board of the Bank.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577) was appointed as Government Nominee Director on the Board w.e.f. April 28, 2022 to hold office till the pleasure of Government of India. In compliance of amended Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160 of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board.

Shri Sushil Kumar Singh shall be entitled to the reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending Board/ Committee Meetings. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Sushil Kumar Singh is provided hereinafter:

Shri Sushil Kumar Singh is an officer of 2006 batch of Indian Defence Accounts Service. He is a post-graduate in Philosophy from University of Allahabad. He has diverse experience while holding independent charge of various offices. Presently he is working as Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance looking after the Financial Inclusion division and monitoring the implementation of government flagship schemes like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, Stand up India scheme and micro insurance schemes.

He has worked with Defence Establishments as Integrated Financial Advisor and was instrumental in scrutiny of financial proposals. He has also handled Payment and Audit functions of different Defence Establishment under Ministry of Defence in various capacities. He has practical experience of Government Accounting, especially the defence finance and accounting system.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.6 of this notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Sushil Kumar Singh himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Sushil Kumar Singh is not related to any other Director or KMP on the Board of the Bank.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.7 of the Notice

Shri Raj Kumar (DIN: 06627311) was appointed as LIC Nominee Director on the Board w.e.f. May 19, 2022 to hold office till the pleasure of LIC. In compliance of amended Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160 of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board.

श्री राज कुमार बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, अपने वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एसएस-2 तथा सेबी सूचीबद्धता नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में दिया गया है.

श्री राज कुमार का संक्षिप्त प्रोफाइल इसमें नीचे दिया गया है:

श्री राज कुमार 1984 में प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा से जुड़े थे और बीमा क्षेत्र में आपका अनुभव है. उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व संभाले हैं जैसे, एलआईसी म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में और अंचल प्रबंधक, भोपाल, कार्यपालक निदेशक (संपदा एवं कार्यालय सेवाएँ), मुंबई, मानव संसाधन विभाग, और अंतरराष्ट्रीय परिचालन. उन्होंने प्रबंध विकास केंद्र, बोरीवली के निदेशक और भारतीय जीवन बीमा निगम के सतर्कता विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है. वे सूचना का अधिकार के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य जन सूचना अधिकारी और अपील प्राधिकारी भी रहे हैं. वे एलआईसी के दो प्रतिष्ठित डिविजनों यथा- गोरखपुर और जयपुर के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.

एलआईसी के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल होने के अलावा श्री राज कुमार के पास बोर्ड अभिशासन का गहन अनुभव है. आपने अलग-अलग समय में सात कंपनियों के निदेशक मंडल में नामिती निदेशक/ निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं जिनमें न केवल भारतीय जीवन बीमा निगम की भारत और विदेश में स्थित सहायक कंपनियां और सहयोगी कंपनियां हैं, बल्कि भारत में स्थित प्रतिष्ठित पब्लिक कंपनियां भी शामिल हैं. आप वर्तमान में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में ग्रासीम इंडस्ट्रीज लि., एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., एलआईसी एचएफएल असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. तथा एलआईसी (लंका) लि. के निदेशक मंडल में हैं.

श्री राज कुमार ने भारत में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है जैसे, आईआईएम-अहमदाबाद, आईएसबी- हैदराबाद, एनआईए-पुणे, दिल्ली उत्पादकता परिषद, दिल्ली, एमडीसी- मुंबई, थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट सेंटर, दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, बेंगलुरु आदि.

उन्हें सीएचआरओ, एशिया द्वारा दिया जाने वाला "मोस्ट इंफ्लुएंशियल ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर इन एशिया" पुरस्कार प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भोपाल द्वारा "हिंदीतर भाषी सम्मान" से भी सम्मानित किया गया है.

निदेशक मंडल इस सूचना की मद संख्या 7 में निर्दिष्ट किए अनुसार सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि वे किसी भी निदेशक (स्वयं श्री राजकुमार को छोड़कर) अथवा, बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करने में, बैंक में अपनी शेयर धारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोडकर, वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री राज कुमार का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं हैं.

5. सूचना की मद संख्या 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबंधित पक्षों से किए जाने वाले संव्यवहारों को शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है. तथापि यदि ऐसे संव्यवहार तात्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(4) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसार साधारण संकल्प के जरिए शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा, भले ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों.

Shri Raj Kumar shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board/Committee meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending Board/ Committee Meetings. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Raj Kumar is provided hereinafter:

Shri Raj Kumar joined LIC of India in the year 1984 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector. He has also handled several significant assignments, in various capacities in LIC of India, such as served as the chief executive officer of LIC Mutual Fund Asset Management Limited and was also the zonal manager, Bhopal, Executive Director (estate and office services), Mumbai, Human Resource Development, and International Operations. He has, also, held additional charge as Director of Management Development Centre, Borivali and Vigilance Department of LIC of India. He was also Chief Public Information Officer and Appellate Authority, under Right to Information, of LIC of India. He has, also, headed two prestigious divisions of LIC i.e. Gorakhpur and Jaipur.

Besides being on the Board of LIC as Managing Director, Shri Raj Kumar has rich experience of Board governance- having served as nominee director/ director on the Boards of seven companies at different points of time which included not only subsidiaries and associates of LIC in India and abroad but also well-known public companies in India. He is presently on the Board of Grasim Industries Ltd., LIC Housing Finance Ltd., LICHFL Asset Management Company Ltd. and LIC (Lanka) Ltd. as Nominee Director of LIC.

Shri Raj Kumar has attended various training programs, in India, at IIM- Ahmedabad, ISB-Hyderabad, NIA-Pune, Delhi Productivity Council-Delhi, MDC-Mumbai, Third World Development Centre-Delhi, National Institute of Advance Studies-Bangalore, etc.

He has been conferred with "Most Influential Human Resource Officer in Asia" an Award by CHRO, Asia and was also awarded "Hinditar Bhashi Samman" by Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Bhopal.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.7 of this notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Raj Kumar himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Raj Kumar is not related to any other Director or KMP on the Board of the Bank.

5. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.8 of the Notice

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

1 अप्रैल 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पठित विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार, एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबद्ध पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं से जुड़े लेनदेनों को "संबद्ध पक्ष लेनदेन" समझा जाएगा, तथा पृथक रूप से किए गए लेनदेन अथवा वित्तीय वर्ष में हुए पिछले लेनदेनों को मिलाकर हुए लेनदेन की राशि 1000 करोड़ रु. अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एलआईसी के साथ किए जाने वाले तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन के लिए 5 मई 2022 को डाक मतपत्र के माध्यम से शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया. अनुमोदन 31 मार्च 2023 तक वैध रहेगा. इसके बाद सेबी ने 8 अप्रैल 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया कि किसी एजीएम में आरपीटी के लिए शेयरधारकों द्वारा किया गया अनुमोदन पंद्रह महीने की अवधि से पहले होने वाली एजीएम की तारीख तक वैध रहेगा. इसलिए, प्रक्रिया को संरेखित करने के लिए, इस एजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि यह अनुमोदन बैंक की अगली एजीएम तक वैध हो.

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में एलआईसी के बैंक के संबंधित पक्ष होने के नाते स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यहारों की शृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों) कार्यान्वित करता है. एलआईसी के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों के विवरण निम्नानुसार हैं:

1) जमाराशियाँ स्वीकार करना

बैंक को आम जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करनी होती हैं जो मांग पर अथवा अन्य रीति से चुकौती-योग्य होती हैं. एलआईसी सभी ग्राहकों के लिए लागू होने वाली समान शर्तों पर बैंक के साथ चालू खाता परिचालित करता है. एक बार खाता खोले जाने के बाद बैंक विधिक तौर पर ग्राहक के खाते में जमा होने वाली राशियों को नहीं रोक सकता है और यह पूरी तरह से ग्राहक के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वह वह कितनी राशि जमा के रूप में रखना चाहता है. अत: संव्यवहार के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है. संव्यवहार की अवधि एलआईसी द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करती है और बैंक द्वारा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है. बैंक द्वारा बैंकिंग प्रभार बैंक की नीतियों तथा आरबीआई के मानदंडों के अनुसार सभी ग्राहकों पर एकसमान दर से प्रभारित किए जाते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जमा अथवा बैंकिंग प्रभार सामान्य बैंकिंग कार्यकलापों से उत्पन्न होते हैं, संव्यवहार का मूल्य एलआईसी पर निर्भर करता है और बैंक द्वारा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है. जमाओं को स्वीकार करने और बैंकिंग प्रभारों की प्राप्ति से सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को प्रोत्साहन प्राप्त होता है और ये बैंक के हित में हैं.

2) वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में एलआईसी सहित सभी ग्राहकों को समान प्रक्रियाओं के आधार पर वित्त पोषित और गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसी की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है. मंजूरी के लिए सुविधाओं पर विचार आरबीआई मानदंडों और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसे नियमों और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, कार्यकाल, आदि सहित) पर किया जाता है,जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं. लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग है. मूल्य बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. यह आरबीआई और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as "related party transactions", and as "material related party transactions", if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of above, the Bank obtained prior approval from shareholders through Postal Ballot on May 5, 2022, for material related party transactions to be undertaken with LIC. The approval would be valid till March 31, 2023. Subsequently, SEBI, vide its circular dated April 8, 2022 issued clarification that the shareholders' approval for RPTs approved in an AGM shall be valid upto the date of the next AGM for a period not exceeding fifteen months. Therefore, to align the process, it is proposed to obtain the shareholders' approval in this AGM so that the approval is valid till the next AGM of the Bank.

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC, being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LIC are as follows:

1) Acceptance of Deposits

The Bank is required to accept deposits from public, repayable on demand or otherwise. LIC operates current account deposits with the Bank on the same terms as applicable to all customers. Once an account is opened, a bank cannot legally stop amounts coming into the customer's account and it is entirely up to the discretion of the customer how much amount it seeks to place into the deposit. Hence, the value of the transaction is not determinable. The tenure of the transaction depends on period opted for by LIC and cannot be ascertained by the Bank. Banking charges are levied by the Bank uniformly on all customers in accordance with Bank's policies and RBI norms. Given that deposits or banking charges arise out of normal banking activities, the value of the transaction depends on LIC and cannot be ascertained by the Bank. Acceptance of deposits and receipt of banking charges are in furtherance of the normal banking business and are in the interest of the Bank.

2) Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including to LIC. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LIC as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single

एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंत:-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन है. सम्बद्ध पक्षों के लिए इन सुविधाओं का मूल्य निर्धारण प्रचलित बाजार दर पर आधारित होता है अथवा बाह्य बैंचमार्क से जुड़ा होता है, जिसे सभी ग्राहकों (संबंधित पक्षों सहित) को समान रूप से ऑफर किया जाता है और यह स्वतंत्र संव्यवहार पर आधारित होता है. सुविधाओं का कार्यकाल ग्राहकों की आवश्यकता (संबंधित/असंबंधित पक्ष) पर निर्भर करता है जो नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन है तथा जो सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होता है. लेन-देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को अग्रसित करने के लिए हैं और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम (ऋण मूल्यांकन, स्वीकृति और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए ये बैंक के हित में हैं.

3) ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन/मोचन

बैंक अपने व्यवसाय के लिए धन जुटाने के लिए आमतौर पर निवेशकों (एलआईसी सहित) द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सकता है, जिसके प्रतिफलस्वरूप सभी निवेशकों पर समान रूप से प्रयोज्य क़ानूनों और प्रस्ताव पत्र के अनुसार इच्छुक निवेशकों को प्रतिभूतियां आबंटित कर दी जाती हैं तथा ब्याज का भुगतान किया जाता है. प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी बोली के अधीन है. लेन-देन की अवधि बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी जो लागू कानूनों के अनुपालन में होगी. यह बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए है और इसलिए बैंक के हित में है.

बैंक ने पहले अपने कारोबार के लिए धन जुटाने के लिए एलआईसी को बांड जारी किए थे. नीचे दिए गए बांडों का मोचन अगली एजीएम की नियत तारीख अर्थात् 30 सितंबर 2023 तक भुगतान के लिए देय है. इन बांडों को उनके जारी करने के समय सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार भुनाया जाएगा.

क्रम संख्या	संबद्ध पक्ष का नाम	योजना का नाम/ आईएसआईएन	परिपक्वता/ कॉल ऑप्शन की तारीख	देय राशि (करोड़ रुपयों में)	टिप्पणी
1	एलआईसी	आईडीबीआई ओमनी बॉण्ड 2012-13 श्रंखला INE008A08U35	30-मई-2022 (परिपक्वता)	250.00	सामान्य परिपक्वता
2		आईडीबीआई ओमनी बॉण्ड 2012-13 टीयर II श्रंखला II INE008A08U43	25-अक्तूबर -2022 (कॉल ऑप्शन)	1000.00	कॉल ऑप्शन का अनुप्रयोग विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होगा
3		आईडीबीआई ओमनी बॉण्ड 2012-13 परपेचुअल टीयर I श्रंखला IV INE008A08U68	26-दिसंबर-2022 (कॉल ऑप्शन)	200.00	कॉल ऑप्शन का अनुप्रयोग विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होगा

4) बीमा उत्पादों और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

बैंक ने आईडीबीआई बैंक शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री के लिए एलआईसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है. नियामक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईआरडीएआई को उचित अनुमोदन/ सूचना दी गई है. बैंक आईआरडीएआई द्वारा अनुमत दरों के अनुसार बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन अर्जित करता है. एलआईसी के साथ समझौता, अनुबंध की शर्तों और नियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीनीकरण के अधीन है. अर्जित शुल्क का स्तर व्यवसाय की मात्रा, बैंक की रणनीति, नियामक दिशानिर्देश और अन्य बाहरी कारक जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है. इस प्रकार, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. बैंक अपनी व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में एलआईसी के बीमा उत्पादों की पेशकश करता है और समझौते की शर्तों के अनुसार शुल्क/ कमीशन अर्जित करता है और इसलिए यह बैंक के हित में है.

and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

3) Issuance /Redemption of debt securities

The Bank may issue debt securities like Non-Convertible Debentures, for raising funds for business of the Bank, on platforms commonly accessed by investors (including LIC), pursuant to which the securities are allotted to interested investors in accordance with the provisions of the applicable laws & offer letter and payment of interest on such securities uniformly to all investors. The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities proposed to be issued by the Bank. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the Bank that will be in compliance of the applicable laws. This is in furtherance of the business activities of the Bank and therefore, is in the interest of the Bank.

The Bank had earlier issued Bonds to LIC for raising funds for business of the Bank. The redemption of the Bonds as given below are due for payments upto the due date of next AGM, i.e., September 30, 2023. These Bonds would be redeemed as per the terms and conditions agreed at the time of the issuance.

Sr No	Name of related party	Scheme name/ISIN	Due date of Maturity/call Option	Amount due (In Cr.)	Remarks
1	LIC	IDBI Omni Bonds 2012-13 Series INE008A08U35	30-May-2022 (maturity)	250.00	Normal maturity
2		IDBI Omni Bonds 2012-13 Tier II Series II INE008A08U43	25-Oct-2022 (call option)	1000.00	Call will be exercised subject to receipt of regulatory approval.
3		IDBI Omni Bonds 2012-13 Perpetual Tier I Series IV INE008A08U68	26-Dec-2022 (call option)	200.00	Call will be exercised subject to receipt of regulatory approval.

4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

The Bank has entered into Corporate Agency Agreement with LIC for sale of Life Insurance Policies through IDBI Bank Branches. Due approval/intimation to IRDAI has been done as per the process laid down by the Regulator. The Bank earns fees/commission for distribution of insurance products as per the rates allowed by IRDAI. The agreement with LIC is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The level of fees earned is dependent on various factors i.e. business volume, Bank's strategy, regulatory guidelines and other external factors. Thus, value of transactions cannot be determined. The Bank offers insurance products of LIC as a part of its business strategy and earns fees/commission as per the terms of agreement and therefore it is in the interest of the Bank.

5) अन्य लेनदेन

मुद्रा बाजार लेनदेन में अन्य सामान्य बाजार सहभागियों/प्रतिपक्षकारों के समान बाजार आधारित लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों/कॉर्पोरेट बांडों और मुद्रा बाजार लिखतों की द्वितीयक बाजार खरीद/बिक्री, बांडों में निवेश, कोई अन्य आय/व्यय अथवा बैंक के कारोबार के सामान्य क्रम में निक्षेपागार सहभागी, कस्टोडियन सेवाओं, इनवेस्टमेंट बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव लेनदेनों आदि के अनुसरण में की गई अन्य गतिविधियां.

बैंक, अपने नियमित कारोबार में, अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेता है. उपरोक्त लेनदेन में संबंधित पक्ष के सरोकार /हित की प्रकृति वित्तीय है.

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में होते हैं.

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऊपर बताए गए लेनदेन सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत एलआईसी के लिए "महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन" की सीमा अर्थात् रु. 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक हो सकते हैं. सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबंधित पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में दर्ज किए जाएंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक आमसभा तक वैध रहेगा.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने एलआईसी के साथ बैंक द्वारा प्रस्तावित सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण में कहा गया है और यह भी नोट किया गया है कि एलआईसी के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होगा.

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 8 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की शर्तों के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं है.

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सम्बद्ध पक्ष संलग्न एजीएम सूचना की मद संख्या 8 के सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे, भले ही वे विशेष लेनदेन के लिए संबंधित पक्ष हों अथवा नहीं.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.
दिनांक : 23 जून 2022

5) Other transactions

Market based transactions in the manner similar with other general market participants / counterparties in Money market transactions, Secondary Market Buying / Selling of Government Securities / Corporate Bonds and money market instruments, investments in Bonds, any other income/expense or other activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services, investment banking, foreign exchange and derivative transactions etc, in the ordinary course of Bank's business.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above at any time during the financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower, for LIC. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with LIC including as stated in the resolution and explanatory statement and has also noted that the said transactions with LIC would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.8 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than LIC Nominee Directors) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 8 of the accompanying AGM Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 23, 2022

सूचना का अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) और महा सभा पर सचिवीय मानक 2 के अनुसार संक्षिप्त विवरण

निदेशक का नाम	श्री मनोज सहाय	श्री सुशील कुमार सिंह	श्री राज कुमार
पदनाम	भारत सरकार के नामिती निदेशक	भारत सरकार के नामिती निदेशक	भारतीय जीवन बीमा निगम के नामिती निदेशक
जन्म तिथि / उम्र	15.09.1967 54 वर्ष	24.09.1977 44 वर्ष	03.01.1962 60 वर्ष
प्रथम नियुक्ति की तारीख	28 अप्रैल 2022	28 अप्रैल 2022	19 मई 2022
शैक्षणिक योग्यता	बीई (सिविल इंजीनियरिंग)	बीए, एमए (दर्शनशास्त्र)	बी.एससी.
विशेषज्ञता	लेखाशास्त्र, वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन	लेखाशास्त्र, वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन	मानव संसाधन, मार्केटिंग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	1. सेवा एवं वस्तु कर नेटवर्क; 2. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	शून्य	**भारतीय कंपनियाँ** • ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड; • एलआईसीएचएफएल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड; • एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड **विदेशी कंपनियाँ** • लाइफ इन्श्युरेंस कॉर्पोरेशन (लंका) लिमिटेड
उन सूचीबद्ध कंपनियों के नाम, जिनसे निदेशक ने विगत 3 वर्ष में त्यागपत्र दिया है, यदि कोई हो	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशक की शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशकों का पारस्परिक संबंध	शून्य	शून्य	शून्य
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधन	गैर-कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 166 में दिये अनुसार तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधानों के अनुसार है.	गैर-कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 166 में दिये अनुसार तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधानों के अनुसार है.	गैर-कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 166 में दिये अनुसार तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधानों के अनुसार है.
पारिश्रमिक	बैठकों में उपस्थित होने के लिए वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं.	बैठकों में उपस्थित होने के लिए वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं.	बोर्ड/ समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और रहने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के हकदार.
स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति का औचित्य तथा प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशकों से अपेक्षित भूमिका व उसका स्वरूप	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं
अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (सम्पन्न/उपस्थिति)	(2/2)	(2/0)	(1/1)

Annexure to the notice

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

Name of Director	Shri Manoj Sahay	Shri Sushil Kumar Singh	Shri Raj Kumar
Designation	Government Nominee Director	Government Nominee Director	LIC Nominee Director
Date of Birth/Age	15.09.1967 54 years	24.09.1977 44 years	03.01.1962 60 years
Date of first appointment	April 28, 2022	April 28, 2022	May 19, 2022
Qualification	BE (Civil Engineer)	BA, MA(Philosophy)	B.Sc
Expertise	Accountancy, Finance, Administration and Corporate Governance	Accountancy, Finance, Human Resource, Administration and Corporate Governance	HR, Marketing, Administration and Corporate Governance
Directorship in other entities	1. Goods and Services Tax Network; 2. Security Printing and Minting Corporation of India Limited	NIL	**Indian companies** • Grasim Industries Limited; • LICHFL Asset Management Company Limited; • LIC Housing Finance Limited. **Foreign companies** • Life Insurance Corporation (Lanka) Limited
Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	NIL	NIL	NIL
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	NIL	NIL	NIL
Shareholding of Director	NIL	NIL	NIL
Relationship between directors inter-se	NIL	NIL	NIL
Terms and Conditions of Appointment/Re-appointment	Terms and conditions for appointment of Non-Executive Director are as provided in Section 166 of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.	Terms and conditions for appointment of Non-Executive Director are as provided in Section 166 of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.	Terms and conditions for appointment of Non-Executive Director are as provided in Section 166 of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.
Remuneration	Entitled to reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	Entitled to reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.
Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Number of Board meetings attended during their tenure (Held/Attended)	(2/2)	(2/0)	(1/1)